न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/96

1. आनन्दीलाल पुत्र श्री मोतीराम जाति कीर (मेहरा) निवासी ग्राम जैतपुरा, ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर राज0।
2. ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा जरिये सचिव/सरपंच तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक कैम्प ग्राम पंचायत कोरसीना के निर्णय दिनांक 9/12/2021 आदेश क्रमांक राजस्व/प्र.गा. अ/2021/2294 दिनांक 9/12/2021 जिसके तहत अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये व सेटलमेन्ट नक्शे के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया

उपस्थित—

1. श्री सीताराम कुमावत वकील अपीलान्ट
2. श्री दिनेश शर्मावकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1

निर्णय

दिनांक —16.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 09.12.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम जैतपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 896/402, 412, 415, 897/402, 900/402, 413/1, 413/2, 413/3, 1082/411, 416, 417, 421/2, 424, 422, 423, 428, 429, 1068/430 के कुल रकबे में से 0.0330 हैक्टेयर के संबंध में तहसीलदार फुलेरा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.2021 को उक्त खसरा नम्बरों में प्रचलित रास्ते को काश्तकार की खातेदारी में रखते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

3. उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 09.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट आनन्दीलाल पुत्र श्री मोतीराम द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एव अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक दिनांक 09.12.2021 अपीलांट की हद तक निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम जैतपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरान में अपीलान्ट मात्र 0.1897 एयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है जो एक लघु काश्तकार से भी निम्न श्रेणी का काश्तकार हैं। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वरवक्त सेटलमेन्ट मौके पर विद्यमान रास्ते को डोटेड के रूप में नक्शा लट्ठा में अंकित किया था उसी अनुसार सेटलमेन्ट के समय से और उसके बाद से मौके पर रास्ता विद्यमान होकर उपयोग उपभोग में लिया जाता रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने बिना आवेदन व बिना आम सूचना व बिना पंचो की मौका रिपोर्ट एवं बिना आमजन की आपत्ति कॉल किये बिना ही एवं प्रार्थी जो कि एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को सुने बिना ही एवं उनकी अनुपस्थिति में तथा सेटलमेन्ट द्वारा जारी नक्शे के विपरीत जाकर पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानो को ताक में रखते हुये मिथ्या एव शुन्य तथा अमान्य प्रस्ताव तैयार कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ना तो कोई कोरम की मीटिंग बुलाई गई ना ही आमजन से कोई आपत्ति तलब की गई ना ही इस संबंध में खातेदारों को सूचित किया गया। पत्रावली को प्रशासन गांवो के संग अभियान में ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के कैम्प में नही रखकर बदमंशा से स्थानीय ग्राम पंचायत से 50 किलोमीटर दूर ले जाकर अन्य ग्राम पंचायत कोरसीना में दिनांक 9/12/2021 को पटवारी हल्का व सरंपच द्वारा आदेश पारित करवाया है, ताकि खातेदारान् को इस बात की भनक तक ना लगे। आलोच्य आदेश में वर्णित कई खातेदारान् को कोई नोटिस तक जारी नही किया गया ना ही सुना गया एवं सेटलमेन्ट द्वारा जारी नक्शे में वर्णित डोटेड लाईन के विपरीत जाकर मनमाफीक रिपोर्ट व प्रस्ताव बनाकर आलोच्य आदेश पारित करवाया गया है जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। प्रकरण में पटवारी हल्का ने ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रभाव में आकर बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के बिना रिपोर्ट व फर्द मौका रिपोर्ट बनाई है।यदि किसी व्यक्ति को रास्ते की आवश्यकता होती तो 251 ए के अन्तर्गत नियमित प्रार्थना पत्र के माध्यम से कार्यवाही की जाकर कीमतन राशि अदा कर रास्ता प्राप्त करने का विधिक प्रावधान है। अतः तहसीलदार व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक दिनांक 09.12.2021 अपीलांट की हद तक निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नं. 896/402, 412, 415, 897/402, 900/402, 413/1, 413/2, 413/3, 1082/411, 416, 417, 421/2, 424, 422, 423, 428, 429, 1068/430 के कुल रकबे में से 0.0330 हैक्टेयर के संबंध मेंसे एक पुराना प्रचलित रास्ता कदीम से कायम है जिस पर खातेदार वर्षो से आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं एवं मौके पर रास्ता आज भी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

यथावत कायम है एवं प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है। अपीलांट की सहमति व मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के आधार पर ही नक्शे में कदिमी रास्ता के रूप में होने के कारण उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयुपर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 17.01.2023 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित रास्ता ग्राम जैतपुरा से जैतपुरा बांध तकएक लम्बा रास्ता है व अनेक खसरा नम्बरों से होकर गुजरता है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि मौके पर जिन–जिन खसरा नम्बरों में से रास्ता गुजरता है उनमें से अधिकांश खातेदार असहमत हैं। एवं अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष बिना नोटिस, सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये एवं डॉटेड लाईन के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने की स्थिति में अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपीलांट की हद तक खारिज किया जाना उचित समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 09.12.2021 अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है।

डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।